न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0ः–29 / 2020 | तारीख रजू:–15.07.2020

जी.सी.एम.एस. नं0ः– 2020 / 00114

पीठासीनअधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. दयाराम पुत्र चतरू मीना, निवासी बिलोपा
2. मु0 पुनी पत्नि रामनिवास मीना, निवासी बिलोपा
3. परसादी पुत्री रामनिवास मीना, निवासी बिलोपा
4. बाबू पुत्र चतरू मीना, निवासी बिलोपा
5. रामप्रसाद पुत्र रामनिवास मीना, निवासी बिलोपा
6. विकास दत्तक पुत्र भागोता नाबालिक जरिए संरक्षक दयाराम पुत्र चतरू मीना निवासी बिलोपा

–वादीगण

बनाम

1. ज्ञाना पुत्र परमा मीना, निवासी बिलोपा
2. बद्री पुत्र घुल्या मीना, निवासी बिलोपा
3. बत्ती लाल पुत्र बद्री मीना, निवासी बिलोपा
4. रामकेश पुत्र बद्री मीना, निवासी बिलोपा
5. मोहन लाल पुत्र बद्री मीना, निवासी बिलोपा
6. घमण्डी पुत्र बद्री मीना, निवासी बिलोपा

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

वकील वादीगणः–श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 एक–पक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांकः– 28.05.2025

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. प्रकरण के संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि–

❖ वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 01, एक ही परिवार के सदस्य है शेष विपक्षी भी बिलोपा के है। इनमें नैना देवी की मृत्यु हो गई, जिनके वारिस वादी नं. 01 व 04 है नामान्तरण अभी नहीं खुला है। ग्राम देवपुरा में वादीगण के हिस्से व खातेदारी की भूमी खाता नं. 89 में दर्ज है इनमें ख.नं. 86 रकबा 0.10 है0, 87 रकबा 0.16 है0 व 88 रकबा 1.39 है0 कुल किता तीन रकबा 1.65 है0 है। उक्त भूमियां एक चक में स्थित है जिसे सभी सहभागी एक साथ काश्त कर रहे है। फसल में आय–व्यय का समान बंटवारा किया जाता रहा है। इस वर्ष भी उक्त खेतों में गेहूँ की फसल सामुहिक काश्त कर [illegible] की लागत का विभाजन किया गया है। इस वर्ष खेतों को हांक जोत कर अगली फसल के लिए तैयार कर रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.06.03 14:44:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ इन खेतों के पडौसी विपक्षी नं. 02 लगायत 06 झगडालू प्रकृति के व्यक्ति है, जिनके परिवार का एक बडा थोक है, इस वजह से यह धन व बल के आधार पर वादीगण की भूमियों को औणे–पौणे दामों में खरीद कर अपने खेतों का विस्तार करना चाहते है।

❖ उनकी इस योजना में वादीगण बाधक बन रहे है। विपक्षी नं. 01 को लोभ–लालच देकर अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रहे है, जिसका वादीगण द्वारा विरोध करने पर विपक्षी नं. एक की संरक्षण पाकर वे वादीगण को जबरन भूमी से बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते है।

❖ दिनांक 30.06.2020 को प्रातः सात बजे वादीगण उक्त खेतों की हंकाई–जुताई की स्थिति देखने गये थे, तभी विपक्षगण वहाँ आए और धमकी दी कि ज्ञाना ने पूरा खेत हमें बेच दिया इसलिए इन खेतों पर पैर रखने की जरूरत नही है। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमी को ज्ञाना द्वारा बेचने की बात को गैर कानूनी बताते हुए इसे काश्त करने की बात कही तो वे आग बबूला हो गए उन्होने चेतावनी दी कि ऐसे कानून का फैसला लाठी से होगा। मौके पर मौजूद गवाह रेखा व ऋषिकेश आदि ने उन्हें समझा बुझा कर घर भेजा।

❖ खाता नं. 89 की आराजियात वादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमी है। यह स्पष्ट प्रावधान है कि संयुक्त खाते की भूमी को कोई एक सह खातेदार अपने हिस्से के बाहर बेचने या रहन रखने का अधिकारी नहीं होता। विपक्षीगण बाहूबल के आधार पर कानूनी प्रावधानों का अपने हित में बेजा प्रयोग करने पर उतारू है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है इसके विपरित वादीगण को अधिकार है कि अपने हिस्से व अधिकार की भूमी पर निर्वाध उपयोग–उपभोग के लिए विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाऐ।

❖ विनायदावा दिनांक 30.06.2020 को विपक्षीगण द्वारा भूमी को जबरन छीनने की धमकी से पैदा हुआ। अतः यही विनायदावा पैदा होकर दावा करना आवश्यक हुआ।

❖ अतः वादीगण का दावा निम्न अनुतोष के आधार पर विरूद्ध विपक्षी डिक्री फरमाने की कृपा करे–

➢ विपक्षियान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करे कि वह खाता नं. 89 के ख.नं. 86 रकबा 0.10 है0, 87 रकबा 0.16 है0 व 88 रकबा 1.39 है0 कुल किता तीन रकबा 1.65 है0 में वादीगण के हिस्से कब्जे काश्त व खातेदारी में किसी तरह से कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे व न अपने एजेंट या नौकर से करवाए तथा न भूमी को कही रहन या बेचान करे।

➢ दौराने दावा विपक्षियान खाता नं. 89 में उनके हिस्से, कब्जे की कोई भूमी पर जबरन कब्जा कर ले या उसकी फसल हडप ले तो उक्त भूमी का मीनस् प्रोफिट तत्कालीन फसल की बाजार दर से दिलवाऐ तथा बेदखल भूमी से कब्जा वापिस दिलवाऐ।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को न्यायालय तलब किया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 31.05.2022एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.06.03 14:44:08 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील वादीगण ने साक्ष्य में समर्थन में निम्नलिखित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये–

❖ **पी0डब्ल्यू–1:–** दयाराम पुत्र चतरू मीना, निवासी ग्राम बिलोपा, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

❖ **पी0डब्ल्यू–2:–** ऋषिकेश पुत्र नोरतन मीणा, निवासी बिलोपा, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ **प्रदर्श–1:–** नक्शा ट्रेस, खसरा नंबर 86, 87 व 88 ग्राम देवपुरा।

❖ **प्रदर्श–2:–** स्थायी जमाबंदी दिनांक 30.06.2020 खाता संख्या 89 ग्राम देवपुरा।

4. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

5. मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से लोभ लालच देकर भूमि खरीदने का प्रयास करने की आशंका जताते हुए समस्त प्रतिवादीगणों को भूमि का रहन बेचान न करने एवं वादीगण के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप न करने बाबत् प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा है। स्थायी जमाबंदी दिनांक 30.06.2020 **(प्रदर्श–2)** से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 ज्ञाना पुत्र परमा मीना विवादित आराजी खसरा नंबर 86, 87 एवं 88 कुल किता 03 कुल रकबा 1.65 है0 में 1/4 हिस्से का सहखातेदार है। वादीगण के कथनों एवं प्रदर्श–2 (स्थायी जमाबंदी दिनांक 30.06.2020) से स्पष्ट है कि विवादित आराजी संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है, जिसका अभी रिकॉर्ड में विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण द्वारा इस दावे में अपने हिस्से की भूमि को पृथक करवाने के लिये विभाजन जैसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। विभाजन से पूर्व प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक भाग पर अधिकार रहता है। अतः किसी सहखातेदार को अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने के लिये सदा सर्वदा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। किसी भी सहखातेदार को उनके हिस्से की भूमि बेचने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही वह अपनी भूमि सहखातेदारों को बेचने के लिये भी बाध्य नहीं है। अतः किसी सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि न बेचने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। परिणामस्वरूप दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.06.03 14:44:08 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर — स्थान — चौथ का बरवाडा

1. दयाराम पुत्र चतरू मीना, निवासी बिलोपा
2. मु0 पुनी पत्नि रामनिवास मीना, निवासी बिलोपा
3. परसादी पुत्री रामनिवास मीना, निवासी बिलोपा
4. बाबू पुत्र चतरू मीना, निवासी बिलोपा
5. रामप्रसाद पुत्र रामनिवास मीना, निवासी बिलोपा
6. विकास दत्तक पुत्र भागोता नाबालिक जरिए संरक्षक दयाराम पुत्र चतरू मीना निवासी बिलोपा

बनाम

1. ज्ञाना पुत्र परमा मीना, निवासी बिलोपा
2. बद्री पुत्र घुल्या मीना, निवासी बिलोपा
3. बत्ती लाल पुत्र बद्री मीना, निवासी बिलोपा
4. रामकेश पुत्र बद्री मीना, निवासी बिलोपा
5. मोहन लाल पुत्र बद्री मीना, निवासी बिलोपा
6. घमण्डी पुत्र बद्री मीना, निवासी बिलोपा

नम्बर मुकदमा 29 सन् 2020

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

वादीगण की और से श्री अजय शेखर दवे, और प्रतिवादीगण की और से एक पक्षीय की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 28.05.2025 को श्री दामोदर सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 28.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

वादी		रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.06.03 14:44:08 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)